



संख्या:शिक्षा-एच0ई0(8)सी(5)-1/2021-संस्कृत छा. निदेशालय उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

प्रेषण,

निदेशक(उच्चतर शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश ।

03 MAR 2021

सेवा में

समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,
रा0व0मा0पा0/रा0उ0पा0, हि0प्र0

दिनांक शिमला-171001

फरवरी, 2021

विषय:-

संस्कृत शिक्षा के विकास की योजना के अन्तर्गत शिक्षा सत्र 2020-21 की मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्रों से ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रण बारे ।

ज्ञापन;

उपरोक्त विषय पर उल्लिखित है कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा संस्कृत शिक्षा के विकास की योजना के अन्तर्गत राजकीय उच्च विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 9वीं, 10वीं/11वीं/12वीं, पाठ्यक्रमों में संस्कृत विषय को मुख्य या ऐच्छिक विषय के रूप में नियमित अध्ययनरत छात्रों के लिए वर्ष 2020-21 की मेधावी छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गये हैं। इस संज्ञान में पाठशाला स्तर पर आवेदन करने के लिए अर्हता/शर्तें इस प्रकार से हैं:-

- ❖ छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन द्वारा ही स्वीकार्य हैं । कोई भी आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है ।
- ❖ संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की निर्धारित वेबसाईट www.sanskrit.nic.in अथवा www.scholarship.csu.co.in के माध्यम से क्रमशः step-1: दिशानिर्देश ध्यानार्थ (जो परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है), step-2: संस्थानों का पंजीकरण, step-3: संस्थानों के विवरण का सत्यापन, step-4: संस्थानों का सक्रियण (Activation of the institutions) तथा step-5: छात्र द्वारा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जमा करने आदि की प्रक्रिया हेतु निर्धारित तिथियाँ :-

सोपान	विस्तृत सूचना	निर्धारित तिथियाँ	
Step-1	सभी शैक्षिक संस्थाओं को ऑनलाईन के माध्यम से पंजीकरण अथवा प्रोफाइल अपडेशन करना होगा । जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित है ।	पंजीकरण/प्रोफाइल अपडेशन करने की आरम्भ तिथि 20.12.2020	पंजीकरण/प्रोफाइल अपडेशन करने की अन्तिम तिथि 28.03.2021
Step-2	सम्बद्ध संस्था का नाम छात्रों का ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रदर्शित होने के पश्चात् छात्र द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन करना होगा ।	ऑनलाईन द्वारा आवेदन करने की आरम्भ तिथि 20.12.2020	ऑनलाईन द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31.03.2021

उपर्युक्त के दृष्टिगत पात्र छात्रों द्वारा ऑनलाईन भरे जाने वाले आवेदन का उल्लेख पाठशाला स्तर पर रखा जाये और उसकी सूचना सम्बन्धित उप-निदेशक(उच्चतर शिक्षा) को भारत सरकार से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात्, तदानुसार प्रेषित करें । पात्र छात्रों के ऑनलाईन द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि से पहले प्राथमिकता के आधार पर, व्यक्तिगत रूची लेकर, बिना किसी विलम्ब के भरा जाना सूनिश्चित करें ।

निदेशक(उच्चतर शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश ।

पृष्ठंकन सम संख्यक दिनांक शिमला-171001 फरवरी, 2021
प्रतिलिपि:-

1) समस्त उप-निदेशक(उच्चतर शिक्षा)..... जिला..... हि0प्र0 को इस कथन के साथ प्रेषित है कि आपके जिला की राजकीय तथा मान्यता प्राप्त पाठशालाओं का पाठशालावार विवरण पाठशालाओं से प्राप्त होने पर समेकित रूप में इस निदेशालय को सितम्बर माह में प्रेषित करना सूनिश्चित करें ।

2) तकनीकी अधिकारी (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ), उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हि0प्र0 कृपया उपरोक्त संस्कृत मेधावी छात्रवृत्ति योजना का प्रकाशन उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर किया जाये ।

निदेशक(उच्चतर शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश ।



संस्कृत विकास की योजना के अन्तर्गत संस्कृत पाठशालाओं/संस्कृत महाविद्यालयों तथा उच्च विद्यालयों/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्रों से सत्र 2020-21 की मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका

संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा संस्कृत शिक्षा के विकास की योजना के अन्तर्गत परम्परागत धारा में मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशाला/संस्कृत महाविद्यालय तथा आधुनिक धारा में मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालय/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 9वीं/10वीं/11वीं/12वीं, शास्त्री/बी.ए.(प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष), आचार्य/एम.ए.(प्रथम/द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों में संस्कृत विषय को मुख्य या ऐच्छिक विषय के रूप में नियमित अध्ययनरत छात्रों के लिए वर्ष 2020-21 की मेधावी छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं:-

- ❖ छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन द्वारा ही स्वीकार्य हैं। कोई भी आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- ❖ संस्थाओं का ऑनलाईन पंजीकरण तथा छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन द्वारा जमा करने की प्रक्रिया एवं निर्धारित तिथियाँ :-

सोपान	विस्तृत सूचना	निर्धारित तिथियाँ	
Step-1	सभी शैक्षिक संस्थाओं को ऑनलाईन के माध्यम से पंजीकरण अथवा प्रोफाईल अपडेशन करना होगा। जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित है।	पंजीकरण/प्रोफाईल अपडेशन करने की आरम्भ तिथि 20.12.2020	पंजीकरण/प्रोफाईल अपडेशन करने की अन्तिम तिथि 28.03.2021
Step-2	सम्बद्ध संस्था का नाम छात्रों का ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रदर्शित होने के पश्चात् छात्र द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन करना होगा।	ऑनलाईन द्वारा आवेदन करने की आरम्भ तिथि 20.12.2020	ऑनलाईन द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि तिथि 31.03.2021

छात्रवृत्ति आवेदन के लिए अर्हता/शर्तें, आवश्यक प्रमाण पत्र तथा अन्य विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

अ) छात्रवृत्तियों की संख्या-

- छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की संख्या प्रत्येक वर्ष के अधन की अपलब्धता पर निर्भर होगी। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षित नीतियों पर आरक्षण दिया जाएगा।
- छात्रवृत्ति शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने वर्तमान कक्षा में संस्कृत विषय लिया हो साथ ही साथ पिछली उत्तीर्ण कक्षा में भी सम्बन्धित विषय हों।

आ) शैक्षणिक योग्यता-

छात्रवृत्ति के लिए निम्नलिखित अर्हता निर्धारित है:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम जिसमें छात्रवृत्ति दी जानी है	पत्रता मानदण्ड	छात्रवृत्ति राशि
1.	कक्षा 9वीं	पिछली परीक्षा(अर्थात् 8वीं कक्षा) में संस्कृत विषय में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक और सभी विषयों को मिलाकर भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वर्तमान कक्षा में संस्कृत विषय सहित कम-से-कम 100 अंको का पेपर तथा पिछली कक्षा (अर्थात् 8वीं कक्षा या समकक्ष पाठ्यक्रम) में भी कम-से-कम 100 अंको का पेपर होना आवश्यक है।	-रुपये-500/- प्रतिमाह -10 माह के लिए (रुपये-5000/- प्रतिवर्ष)
2.	कक्षा 10वीं	पिछली परीक्षा(अर्थात् 9वीं कक्षा) में संस्कृत विषय में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक और सभी विषयों को मिलाकर भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वर्तमान कक्षा में संस्कृत विषय सहित कम-से-कम 100 अंको का पेपर तथा पिछली कक्षा(अर्थात् 9वीं कक्षा या समकक्ष पाठ्यक्रम) में भी कम-से-कम 100 अंको का पेपर होना आवश्यक है।	-रुपये-500/- प्रतिमाह -10 माह के लिए (रुपये-5000/- प्रतिवर्ष)
3.	कक्षा 11वीं/प्राकशास्त्री	पिछली परीक्षा(अर्थात् 10वीं कक्षा) में संस्कृत विषय में	-रुपये-600/- प्रतिमाह

10.	संस्कृत में विद्यावारिधि/ पीएच.डी. या समकक्ष	आचार्य या एम.ए. संस्कृत विषय में कुल कम-से-कम 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस विज्ञापन से पूर्व छात्र को पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीकृत होना भी आवश्यक है और पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष से अधिक अन्तराल न हो ।	-रूप्ये-2500/- प्रतिमाह -12 माहिनो के लिए + रूप्ये-500/- प्रतिवर्ष कान्टीजेन्सी (अर्थात् रूप्ये- 35,000/- प्रतिवर्ष) अधिकतम छात्रवृत्ति दो वर्ष के लिए
-----	--	--	--

मुख्य सूचना:-आधुनिक धारा में छात्रवृत्ति चयन हेतु केवल संस्कृत विषय के अंकों के आधार पर वरीयताक्रम तैयार किया जाएगा तथा पारम्परिक धारा एवं आनर्स(संस्कृत) में सभी विषयों के पूर्णांक के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित होगी ।

इ) छूट- आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिए अंक प्रतिशत में छूट देते होते हुए कम-से-कम निम्नलिखित अंकों की प्रतिशतता होना आवश्यक है:-

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी	-55 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी	- 50 प्रतिशत
दिव्यांग श्रेणी	- 50 प्रतिशत

- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग छात्रों द्वारा प्राप्तांकों में छूट पाने के लिए निर्धारित अधिकारी द्वारा छात्र अपने स्वयं के नाम जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। माता-पिता अथवा परिवार अन्य किसी सदस्य के नाम जारी जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा ।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इ.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंकों के लिए पात्रता मानदण्ड में कोई छूट नहीं है । हालांकि भारत सरकार के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ आय(प्रबवउम) और सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विचार किया जा सकता है ।

ई) चयन की रीति-

- केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा गठित छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर ही विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति देय होगी ।
- छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा को अनुदान समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।
- संस्कृत विषय में प्राप्तांक/ग्रेड के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी । संस्कृत आनर्स/परम्परागत धारा के छात्रों के कुल प्राप्तांकों/ग्रेड/प्रतिशतता ही मेरिट के लिए विचारणीय होगी ।
- चयनित छात्रों की सूची पिछली कक्षा के संस्कृत विषय के प्राप्तांकों की कट-ऑफ प्रतिशतता के आधार तैयार की जाएगी ।

उ) अनुबंधन तथा शर्तें-

1. अभ्यर्थी का 60 प्रतिशत अंक (सामान्य), 55 प्रतिशत अंक (अन्य पिछड़ा वर्ग) तथा 50 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपंगता) या समकक्ष ग्रेड का होना आवश्यक है । अपूर्ण अंक (Rounding) को नहीं माना जाएगा ।
2. छात्रों द्वारा वर्तमान कक्षा में संस्कृत विषयों में से कोई भी विषय लेना अनिवार्य होगा । उल्लेखनीय है कि छात्रवृत्ति प्रदान करने का आधार पिछली कक्षा में उक्त विषयों तथा सभी विषयों को मिलाकर प्रतिशतता तैयार होगी ।
3. छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक सत्र में 1 जुलाई से आगामी 30 अप्रैल तक (10 माह) देय होगी । छात्रवृत्ति पिछली कक्षा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए देय होगी । अतः छात्रों को हर वर्ष नये रूप से आवेदन करना होगा । इसका स्वतः प्रोन्नति नहीं होगा ।
4. संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट प्राप्ति पर पी.एच.डी./विद्यावारिधि हेतु छात्रवृत्ति दो पूर्ण वर्षों(24 माह) के लिए दी जाएगी । द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु शोधकर्ता को मार्गदर्शक एवं विभागाध्यक्ष के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र तथा कृत शोध कार्य का प्रगत प्रतिवेदन जमा करना होगा ।
5. योजना के अनुसार अस्थायी चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सत्यापन हेतु अस्थायी अर्ह छात्रों की सूची ई-मेल/डाक से सम्बद्ध संस्थाओं के प्राचार्य/अध्यक्ष/डीन को प्रेषित की जाएगी ।
6. अस्थायी रूप से चयनित छात्रों की सूची प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/डीन के द्वारा सत्यापित कर निम्नलिखित प्राधिकारियों से यथानियम प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा:-
 - (i) मान्यता प्राप्त उच्च/वरिष्ठ विद्यालयों के लिए - राजकीय शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
 - (ii) राजकीय उच्च/वरिष्ठ विद्यालयों के लिए - सम्बन्धित विद्यालय का मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य
 - (iii) केन्द्रीय विद्यालयों के लिए - सम्बन्धित विद्यालय का मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य
 - (iv) राजकीय डिग्री/संस्कृत महाविद्यालयों के लिए - सम्बन्धित महाविद्यालय का प्राचार्य
 - (v) सम्बद्धता प्राप्त डिग्री/संस्कृत महाविद्यालयों के लिए - विश्वविद्यालय का कुलसचिव जहां से महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त है।
 - (vi) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं के लिए - सम्बद्ध संस्था का प्राचार्य

निर्धारित समय के भीतर सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/डीन से अस्थायी रूप से चयनित छात्रों की सूची सत्यापित कर सम्बन्धित प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित मूल प्रति (हार्डकॉपी)संस्थान को प्राप्त होने के बाद ही छात्रवृत्ति जारी की जाएगी ।

7. ऊपर लिखित प्राधिकारियों के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित छात्रों का विवरण मान्य नहीं होगा ।
8. छात्रवृत्ति हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार्य है । आवेदन के समय कोई भी दस्तावेज संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड या डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम से संस्थान को भेजने की आवश्यकता नहीं है ।
9. भुगतान का तत्काल सीनान्तरण करने के लिए छात्र/छात्रा का किसी भी राष्ट्रियकृत बैंक (विशेषः SBI) में खाता होना चाहिए । बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक(KYC) होना भी अनिवार्य है ।
10. छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष के प्रथम जुलाई के शैक्षणिक सत्र से देय होगा । स्वीकृत राशि का भुगतान सीधे छात्र के खाते में बैंक द्वारा किया जाएगा । व्यक्ति द्वारा खाते का संचालन निम्नानुसार होना चाहिए:-

- 12वीं कक्षा तक संयुक्त खाता ।

वाप्यकारी होगा।

21. आवश्यक्तानुसार अनुबंधन एवं शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा। इस सम्बन्ध में संस्थान को निम्न अतिम एवं
 20. विज्ञापन से पूर्व, ऑफ लाइन, अपूर्ण, पुराने फॉर्मेट और अलग से मुद्रित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 19. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की अवधि के दौरान छात्र केवल एक बार ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें।
रूप से उल्लेख करना होगा।
 18. जहाँ कहीं अंक पत्र में आधुनिक भारतीय भाषा 1/2/3 के रूप में अंक दर्शाये हों वहाँ पर संस्कृत भाषा विषय का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
 17. ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाये गये राज्य के कॉलेज में राज्य शब्द का अर्थ जहाँ पर आवेदक अध्ययनरत है उस राज्य का
 16. छात्र द्वारा संस्कृत विषय में ऐच्छिक रूप से प्राप्तांकों को भी छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा।
 15. छात्रवृत्ति की प्राप्ति हेतु एक वर्ष अथवा दो सत्रों में संस्कृत विषय सहित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक है।
किया जाता है कि पी.ए.डी. शोधकर्ता या एम.ए. के पर्याप्त अतिरिक्त मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
 14. जिस छात्र ने बी.एड. करने के पर्याप्त एम.ए. में प्रवेश लिया है उनको छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु बी.ए. कक्षा में प्राप्तांकों को आधार माना जाएगा। बशर्तें पढ़ाई में कोई अन्तराल नहीं हो। इसी प्रकार यदि कोई छात्र बी.एड./एम.एड./एम.फिल पूर्ण करने के बाद पी.एच.डी. में प्रवेश लेता है तो छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उसके एम.ए. में प्राप्तांकों आधार होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पी.ए.डी. शोधकर्ता या एम.ए. के पर्याप्त अतिरिक्त मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
 13. सभी छात्रों द्वारा निर्धारित पत्र में आवेदन जमा करना होगा जिसमें निम्नलिखित तथ्यों को होना आवश्यक है:-
 - (i) वह संस्कृत पाठ्यक्रम का नियमित छात्र है जिस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है।
 - (ii) उसने किसी अन्य स्तर के माध्यम से छात्रवृत्ति या वती(स्टाड) प्राप्त नहीं की है।
 - (iii) वह कहीं पर कार्यरत नहीं है।
 - (iv) यदि छात्र ने किसी अन्य स्तर से माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त की है अथवा वह कार्यरत है तो उसे तत्काल
 12. यदि किसी छात्र ने इस शैक्षणिक सत्र में अन्य किसी संस्था से छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता प्राप्त की है तो उस छात्र को जापनी।
योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। छात्रवृत्ति अवधि के दौरान यदि कोई छात्र परीक्षामक कार्य अथवा अन्य पाठ्यक्रम जिसमें संस्कृत का समावेश नहीं है, ऐसे छात्र भी इस छात्रवृत्ति पाने के लिए योग्य नहीं होंगे।
 11. छात्रवृत्ति की स्वीकृत राशि का भुगतान सीधे छात्र के खाते में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली/ई-स्थानानुसार/एन.ई.एफ. टी. के माध्यम से किया जाएगा और उसी सूचना सम्बन्धित विद्यालय/संस्था/विश्वविद्यालय के ई-मेल/लोक द्वारा भेजी जाएगी।
- बी.ए., एम.ए., तथा पी.एच.डी. के छात्रों के लिए अलग से खाते का संचालन किसी भी राष्ट्रियकृत बैंक में विशेषतः भारतीय स्टेट बैंक में होना आवश्यक है।